

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 09/2010

वादीगण:-

1. सरदार खां पुत्र श्री जमालद्दीन
2. फिरोज खां पुत्र श्री जमालद्दीन जातिगण सिन्धी मुसलमान निवासीगण निम्बाड़ा तहसील पाली

बनाम प्रतिवादीगण:-

1. उमराव खां पुत्र श्री अल्लाबक्ष
2. भीखू पत्नि उमराव खां
3. मेहदूब पुत्र श्री उमराव खां
4. अब्दुल रबू खां पुत्र उमराव खां
5. अहमद पुत्र श्री अल्लाबक्ष
6. नबू खां पुत्र लाखे खां
7. सुगी पत्नि जमाला खां जातिगण सिन्धी मुसलमान निवासीगण निम्बाड़ा तहसील पाली जिला पाली
8. रसीद खां पुत्र अब्दुल रहमान खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिवान्ची गेट सिन्धीयो का बास, जोधपुर
9. स्टेट जरिये तहसीलदार, पाली

उपस्थिति:-

1. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक वादीगण

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

-:निर्णय:-

दिनांक 26.09.2019

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 21-03-2018 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच सरहद मौजा ग्राम निम्बाड़ा में स्थित खसरा नंबर 11 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा किरम बारानी सोयम भूमि का राजीनामा एवं उसके साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुरूप मौके पर बंटवाड़ा किया जाकर पृथक पृथक खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण कर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तथा खसरा नंबर 3/153 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 3/154 रकबा 85 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा प्रदर्श-9 के अनुरूप मौके पर बंटवाड़ा करके पृथक पृथक खसरा नंबर रकबा एवं लगान का निर्धारण कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार, पाली को आदेश दिया गया।

2. तहसीलदार, पाली ने उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।

3. अतः अंतिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम निम्बाड़ा में स्थित खसरा नंबर 11 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा किरम बारानी सोयम भूमि तथा खसरा नंबर 3/153 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 3/154 रकबा 85 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा निम्न प्रकार किया जाकर पृथक-पृथक खसरा नंबर, रकबा एवं लगान

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

का निर्धारण किया जाता है तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को इस अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है:-

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान (रूपये)
1.	रसीद खां पुत्र अब्दुल रहमान खां कौम सिंधी मुसलमान सा0 सिवांची गेट, जोधपुर खातेदार	11	1.14	बा0सो0	0.43
2.	सरदार खां पुत्र जमाल खां उर्फ जमालुद्दीन कौम सिंधी मुसलमान सा0 देह खातेदार	11/1	1.15	बा0सो0	0.43
3.	मु0इन्द्रा जोजे जबरदीन, मु0 मुनकी जोजे अदरिम खां, मु0 कबुडी जोजे अलादीन कौम सिंधी मुसलमान सा0 देह खातेदार	11/2	1.14	बा0सो0	0.43
4.	भीखू जोजे उमराव खां 20 बीघा, उमराव खां पुत्र अलाबक्ष 12.03 बीघा, अब्दुल रब्बूखां पुत्र उमराव खां 10 बीघा, मेहबूब खां वल्द उमराव खां 6.02 बीघा कौम सिंधी मुसलमान रहन दी पाली सेंट्रल को0बैंक लि0, पाली <u>जमाल खां</u>	3/153	48.05	बा0दो0	17.85
5.	फिरोज खां पुत्र <u>जमान खां</u> कौम सिंधी मुसलमान सा0 देह खातेदार	184/3	20.07	बा0दो0	7.53
6.	उमराव खां पुत्र अलाबक्ष कौम सिंधी मुसलमान सा0 देह खातेदार	3/154	26.04	बा0सो0 21.01 चा0चा. 5.03	5.26 9.01
7.	अहमद खां पुत्र अलाबक्ष हि0 16.04 बीघा रहन दी पा0सें0को0बैंक लि0, पाली, नेनी पत्नी भावे खां हि0 5 बीघा नेका पत्नी अयूब खां हि0 5 बीघा कौम सिंधी मुसलमान सा0 देह खातेदार	185/3	26.04	बा0सो0 21.02 चा.चा. 5.02	5.28 8.93
8.	सरदार खां पुत्र जमालखां कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार	186/3	25.12	बा0सो0	6.40
9.	फिरोज खां पुत्र जमालखां कौम सिंधी मुसलमान सा0 देह खातेदार	187/3	7.12	बा0सो0	1.90

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद तथा नजरी नक्शा के अनुरूप राजस्व नक्शा लट्टा में तरमीम करवाने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। अंतिम डिक्री परचा मुर्तिब हो। इस निर्णय, अंतिम डिक्री परचा एवं नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, पाली को तहसीर के साथ प्रेषित कर 15 दिवस की अवधि में माफिक डिक्री पालना कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।



यह आदेश आज दिनांक 26.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

Note:- सादेवा दिनांक 25.3.19 के द्वारा नं.सं. 5 में "जमान खां" के स्थान पर "जमाल खां" आंकल किया गया।

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

## अंतिम डिक्री बमुकददमें इब्तदाई

( ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी )

( Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर,  
बइजलास- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकददमा संख्या- राजस्व वाद संख्या 09 सन् 2010 अंतर्गत धारा 53, आर.टी.एक्ट, 1955

वादीगण:-

बनाम प्रतिवादीगण:-

1. सरदार खां पुत्र श्री जमालद्दीन
2. फिरोज खां पुत्र श्री जमालद्दीन  
जातिगण सिन्धी मुसलमान  
निवासीगण निम्बाड़ा तहसील  
पाली

1. उमराव खां पुत्र श्री अल्लाबक्ष
2. भीखू पत्नि उमराव खां
3. मेहबूब पुत्र श्री उमराव खां
4. अब्दुल रबू खां पुत्र उमराव खां
5. अहमद पुत्र श्री अल्लाबक्ष
6. नबू खां पुत्र लाखे खां
7. सुगी पत्नि जमाला खां जातिगण सिन्धी  
मुसलमान निवासीगण निम्बाड़ा तहसील पाली  
जिला पाली
8. रसीद खां पुत्र अब्दुल रहमान खां जाति  
सिन्धी मुसलमान निवासी सिवान्दी गेट  
सिन्धीयों का बास, जोधपुर
9. स्टेट जरिये तहसीलदार, पाली

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू श्री मनोहर दास वैष्णव विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुददई व बहाजरी शून्य मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि अंतिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम निम्बाड़ा में स्थित खसरा नंबर 11 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी सोयम भूमि तथा खसरा नंबर 3/153 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 3/154 रकबा 85 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा निम्न प्रकार किया जाकर पृथक-पृथक खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण किया जाता है तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को इस अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान (रूपये)
1.	रसीद खां पुत्र अब्दुल रहमान खां कौम सिन्धी मुसलमान सा0 सिवांची गेट, जोधपुर खातेदार	11	1.14	बा0सो0	0.43
2.	सरदार खां पुत्र जमाल खां उर्फ जमालुद्दीन कौम सिन्धी मुसलमान सा0 देह खातेदार	11/1	1.15	बा0सो0	0.43
3.	मु0इन्द्रा जोजे जबरदीन, मु0 मुनकी जोजे अदरिम खां, मु0 कबुड़ी जोजे अलादीन कौम सिन्धी मुसलमान सा0 देह खातेदार	11/2	1.14	बा0सो0	0.43
4.	भीखू जोजे उमराव खां 20 बीघा, उमराव खां पुत्र अलाबक्ष 12.03 बीघा, अब्दुल रबूखां पुत्र उमराव खां 10 बीघा, मेहबूब खां वल्द उमराव खां 6.02 बीघा कौम सिन्धी मुसलमान रहन दी पाली सेंट्रल को0बैंक लि0, पाली	3/153	48.05	बा0दो0	17.85
5.	फिरोज खां पुत्र <u>जमान खां</u> कौम सिन्धी मुसलमान सा0 देह खातेदार <u>जमान खां</u>	184/3	20.07	बा0दो0	7.53

6.	उमराव खां पुत्र अलाबक्ष कौम सिंधी मुसलमान सा० देह खातेदार	3/154	26.04	बा०सो० 21.01 चा०चा. 5.03	5.26 9.01
7.	अहमद खां पुत्र अलाबक्ष हि० 16.04 बीघा रहन दी पा०से०को०बैंक लि०, पाली, नेनी पत्नी भावे खां हि० 5 बीघा नेका पत्नी अयूब खां हि० 5 बीघा कौम सिंधी मुसलमान सा० देह खातेदार	185/3	26.04	बा०सो० 21.02 चा.चा. 5.02	5.28 8.93
8.	सरदार खां पुत्र जमालखां कौम मुसलमान सा० देह खातेदार	186/3	25.12	बा०सो०	6.40
9.	फिरोज खां पुत्र जमालखां कौम सिंधी मुसलमान सा० देह खातेदार	187/3	7.12	बा०सो०	1.90

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद तथा नजरी नक्शा के अनुरूप राजस्व नक्शा लट्ठा में तरमीम करवाने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिंग .....शून्य..... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....शून्य..... फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख १६ माह ०२ सन् २०१९ को जारी की गई।



दस्तखत.....  
सहायक कलेक्टर  
ओहदा.....पाली (राज.)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	-	-	स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-	स्टाम्प हाजरी	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	मेहनताना वकील पर	-	-
मेहनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमिश्नर	-	-
फीस कमिश्नर	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	मुतफरिक	-	-
मुतफरिक	-	-	-	-	-
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

Note:- डिकी नं. क्र. सं. 5 पर "जामाल खां" के स्थान पर "जामाल खां" आदेश नं. 25.3.19 के द्वारा आंकटा किया गया।

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)